	कार्यवाही विवरण	अनुपालना में क्रमांक व दिनांक
08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जैतपुरा, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 12.08.2021, शपथ पत्र बन्नाराम व नानूराम का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम बन्नाराम है तथा बन्नाराम व बनवारी दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम धनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 532 रकबा 2.1800 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र बोदू के बजाय बन्नाराम पुत्र बोदु दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner